रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 329] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 30, 1974/श्रावण 8, 1896

No. 329] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 30, 1974/SRAVANA 8, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

Central Library AUG 1974

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi the 30th July 1974

S.O. 460(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Homoeopathy Central Council Act 1973 (59 of 1973), the Central Government hereby appoints,

(a) the 1st August 1974 as the date on which the provisions of chapter I section 1[1] and chapter V of the said Act shall come into force in the whole of India;

(b) the 1st August 1974, as the date on which the provisions of sections 3 to 11 (both inclusive) and section 13 to 15 (both inclusive) of the said Act shall come into force in all the States (except the States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir Manipur, Meghalaya, Nagaland, Punjab and Tripura) and in the Union territories of Chandigarh and Delhi.

[No V-27020/1/74(A)-HOMOEO]

M. K. KUTTY, Jt Secy

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1974

का० आ० 160(अ).—होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा यह निश्चित करती है कि :—

(क) 1-8-74 की तारीख से उक्त अधिनियम के अध्याय 1, धारा 12 और अध्याय 5 के उपबन्ध सम्पूर्ण भारत में लागू होंगे ;

(ख) 1-8-74 की तारीख से उक्त अधिनियम की धारा 3 से 11 (दोनों के समेत) और धारा 13 से 15 (दोनों के समेत) के उपबन्ध सभी राज्यों (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड पंजाब और त्रिपुरा को छोड़कर चण्डीगढ़ और दिल्ली के संघ शासित क्षेत्रों में लागू होंगे।

[सं० वी०-27020/1/74-(ए) होम्यो०]

एम० के० कुट्टी, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974